



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082021-228774
CG-DL-E-05082021-228774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2930]
No. 2930]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2021/श्रावण 14, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2021/SHRAVANA 14, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2021

का.आ. 3156(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 393क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 387 से 392 (दोनों सम्मिलित) के उपबंधों से निम्नलिखित को छूट प्रदान करती है:

(क) विदेशी कंपनियां;

(ख) भारत से बाहर निगमित या निगमित की जाने वाली कंपनियां, चाहे कंपनी ने भारत में कारबार का स्थान स्थापित किया है या नहीं किया है या जब गठित की गई हो तब भारत में कारबार का स्थान स्थापित कर सकती है अथवा नहीं,

जहां तक वे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 18 के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में प्रतिभूतियों में अंशदान के लिए पेशकश, विवरणिका से संबंधित आवश्यकताएं, और सभी प्रासंगिक मामलों से सम्बंधित हो।

[फा. सं. 3/4/2021-सीएल.-I]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2021

S.O. 3156(E).—In exercise of the powers conferred by section 393A of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby exempts, from the provisions of sections 387 to 392 (both inclusive), the following:-

(a) foreign companies;

(b) companies incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established, or when formed may or may not establish, a place of business in India,

insofar as they relate to the offering for subscription in the securities, requirements related to the prospectus, and all matters incidental thereto in the International Financial Services Centres set up under section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).

[F. No. 3/4/2021-CL.-I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.